

In the Court of District & Additional Sessions Judge-1st,
SC/ST Case No. - 06/2025

02.08.2025 संज्ञान के बिन्दु पर अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अनुसंधानकर्ता द्वारा आरोप पत्र संख्या-354/2024, दिनांक 09.12.2024 के कंडिका-11 में नामित अभियुक्तगण 1. दीपक साव, 2. उमेश साव, और 3. कान्तु देवी के विरुद्ध धारा - 329 (3), 126(2), 115(2), 352, 351(2), 3(5) भा0 न्या0 सं0 एवं धारा - 3 (1) (r) (s) / 3 (2) (v) of Sc/St Act के अंतर्गत समर्पित किया गया है अन्य प्राथमिकी दो अभियुक्तगण 1. अर्चना देवी 2. नीलम देवी को उपरोक्त वर्णित आरोप पत्र में अनुप्रेषित दिखाया गया है।

अभिलेख का अवलोकन किया। वाद के आरोप पत्र एवं वाद दैनिकी के अवलोकन से प्रतीत होता है कि कुल तीन अभियुक्तगण 1. दीपक साव, 2. उमेश साव, और 3. कान्तु देवी के विरुद्ध धारा - 329 (3), 126(2), 115(2), 352, 351(2), 3(5) भा0 न्या0 सं0 एवं धारा - 3 (1) (r) (s) / 3 (2) (v) of Sc/St Act के अंतर्गत प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है।

अतः ऐसी स्थिति में प्राथमिक अभियुक्तगण 1. दीपक साव, 2. उमेश साव, और 3. कान्तु देवी के विरुद्ध धारा - 329 (3), 126(2), 115(2), 352, 351(2), 3(5) भा0 न्या0 सं0 एवं धारा - 3 (1) (r) (s) / 3 (2) (v) of Sc/St Act के अंतर्गत संज्ञान लिया जाता है।

कार्यालय लिपिक अनुपस्थित अभियुक्तों की उपस्थिति हेतु सम्मन निर्गत करें। वाद दिनांक^{16.09.25} वास्ते उपस्थिति।

लेखापित


DASJ 1st